

न्यायालय : अवर न्यायाधीश अरेराज, पूर्वी चम्पारण ।
स्वत्व वाद संख्या 32 / 2023
सीआइएस 32.23

प्रस्तुत समक्ष:

श्री मनीष कुमार पाण्डेय ।

आदेश

दिनांक 27.05.2024 वाद पुकारा गया। मामले में वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 27.05.2024 के अन्तर्गत कहा गया है कि वादीगण द्वारा दो दस्तावेजों की सच्ची प्रतिलिपि पूर्व में दाखिल किया गया है दस्तावेज दिनांक 11.04.2012 देव नारायण प्रसाद बनाम कबूतरी देवी, दस्तावेज दिनांक 11.04.2012 देवनारायण प्रसाद बनाम गया साह की सच्ची प्रतिलिपि न्यायालय में दाखिल है। जो लोक दस्तावेज है जिन्हें प्रदर्श अंकित करने की आवश्यकता है। अतः उक्त दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है मामला एक पक्षीय विचारित किया जा रहा है।

उपस्थित पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में वादी के द्वारा न्यायालय में प्रदर्श करने हेतु बहुत सारे दस्तावेज न्यायालय में दाखिल किये गये हैं। मामले के सम्यक निस्तारण हेतु दस्तावेजों का प्रदर्श अंकित करना आवश्यक है। मामले में न्यायालय अब्दुल रहमान तथा अन्य बनाम मोहम्मद कारू तथा अन्य के मामले में दिनांक 30.11.18 में माननीय न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा, पटना उच्च न्यायालय के पी0एल0जे0आर0 2019 (1) –376 में पारित आदेश का अवलोकन करती है जिसमें माननीय न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के संबंध में कहा है कि यदि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज या आदेश की प्रमाणित प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करता है तो उसे विपक्षी पक्षकार के आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित किया जा सकता है और ऐसे दस्तावेज का साक्ष्यिक मूल्य बहस के समय देखा जा सकता है। अतः प्रस्तुत मामले में न्यायालय वादी के आवेदन को लोक दस्तावेज होने के कारण स्वीकृत करती है और कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि सभी दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में अंकित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। वाद दिनांकवास्ते साक्ष्य।

लेखापित तथा संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)